

पत्रावली पेश हुई। वकील/उपखण्ड अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वोक्तानुसार
दिनांक 28-8-23 को पेश होगी।

28/8 पत्रावली पेश हुई। वकील/उपखण्ड अधिकारी
ले विभाजन प्रस्ताव पुनः प्राप्त हो चुका है, शीघ्र
सिवाय कि जहाँ पत्रावली पेश करने के
19-9-23 को पेश हो।

19/9 पत्रावली पेश हुई। वकील/उपखण्ड अधिकारी
के दिनांक 28-8-2023 के आदेश क्र. 2023/3489
पर लाक्षणिक हो गया। नए दिनांक के उपर विभाजन
प्रस्ताव प्राप्त होना कि जहाँ पत्रावली पेश
पत्रावली पेश होना कि जहाँ पत्रावली पेश
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर (राजस्थान)

क्र.:-राजस्व / 2023 / 1303

दिनांक:- 10 सितम्बर, 2023
अ.स.१९९

सीलदार,
सीकर

विषय:- दावा मु.न. 259 / 2022, बउनवानी मोहनी देवी बनाम रामावतार में निर्णय दिनांक 19.09.2023 की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण दावा मु.न. 259 / 2022 बउनवानी मोहनी देवी बनाम रामावतार में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.09.2023 को निर्णय डिक्री पारित की गई है। अतः निर्णयादेश मय डिक्री की सत्यापित प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में, यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश वगैरह नहीं हो तो, नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर